

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर, राजस्थान

क्रमांक:डीसी/ई-1/संस्था/2019/

दिनांक:-

आदेश

राज्य में कार्यरत औषधि नियंत्रण अधिकारियों को आगामी तीन माह के लिये प्रत्येक माह एक औषधि का सैम्पल जाँच हेतु लिये जाने का लक्ष्य आंशिक किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

-sd-

(राजा राम शर्मा)

औषधि नियंत्रक-प्रथम

राज0 जयपुर।

क्रमांक:डीसी/ई-1/संस्था/2019/27

दिनांक:- 15/1/19

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी. क्रमांक 181 दिनांक 09.01.2019।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन- राजस्थान।
3. श्री अजय फाटक सहायक औषधि नित्रयक, अतिरिक्त चार्ज औषधि नियंत्रक-द्वितीय मुख्यालय।
4. उप निदेशक, औषधि जाँच प्रयोगशाला, सेठी कॉलोनी जयपुर।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक राजस्थान।
7. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी राजस्थान।
8. प्रभारी सी डेस्क, मुख्यालय।
9. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. आदेश पत्रावली।



(राजा राम शर्मा)

औषधि नियंत्रक-प्रथम

राज0 जयपुर।